सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4 (1) ख (**vii**)

मैनुअल संख्या–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल संख्या–7

जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड) एक कार्यदायी संस्था है तथा इसकी पालिसी/कार्यप्रणाली लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई एवं अन्य निर्माण एजेंसियों के आधार पर आवश्यकता अनुरूप अंगीकृत तैयार की जाती रही है। बोर्ड ऑफ डारेक्टरर्स द्वारा वर्तमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जा रहे हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था में यहॉ उच्च माप दण्ड युक्त लोक निर्माण विभाग एवं NHAI की कार्यप्रणाली प्रचलित है। अतः आंतरिक नीति–नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। निगम की समस्त नीतियों का आधार शासकीय नियम ही है। परन्तु फिर भी जनता के साथ परामर्श का अवसर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सदैव उपलब्ध रहता है साथ ही प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सुझाव स्वीकार्य है जिसमें नियमों के आधार पर परामर्श एंव प्रतिनिधित्व का समान अवसर सामान्य रूप से रहता है।

1. प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते है।

प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते है वह साधारणता ब्रिडकुल द्वारा निर्धारित नियम एंव शर्तो के अनुरूप ही स्वीकार्य होते है। जिनका विवरण पूर्व में दिया चुका है। कार्यदायी संस्था होने के कारण ब्रिडकुल द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ–सथ ई निविदा / वैबसाइट के माध्यम से आमतौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते है।

2. परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

ब्रिडकुल में परामर्श की व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियों की ओर उन्मुख है कुछ विशिष्ट मामलों में ब्रिडकुल के अधिष्ठान लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड सरकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(क) नीति निर्माण /नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य

ब्रिडकुल में निती निर्माण सम्बन्ध क्रियान्वयन अधिष्ठान अनुभाग लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार / कैबिनैट के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें जनता के सदस्य का प्रतिनिधित्व जन प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है।

(ख) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित

ब्रिडकुल में कार्यो की व्यस्तता एंव प्राथमिकता के साथ–साथ आगंतुकों को अपरहन में भेट हेतु समय उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) आर0टी0आई0 में आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एंव सुविधा काउंटर (आईएफसी) का सम्पर्क विवरण

ब्रिडकुल के अन्तर्गत आर0टी0आई0 से सम्बन्धित आवेदन ई–मेल / मूल रूप में ड़ाक के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये जाते है जिसका निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित नियमों के आधार पर किया जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0)

ब्रिडकुल में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध है परन्तु वर्तताान में पीपीपी मोड़ पर कोई भी परियोजना गतिमान नही है।

1. विशेष परियोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण यदि कोई हो

ब्रिडकुल के पास वर्तमान में मात्र दो निजि वाहन उपलब्ध है अन्य वाहन कार्यो एंव सुविधा संतुलन के अनुसार निविदा / प्रतिदिन की प्रचलित दरों के आधार पर कार्यो हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

ब्रिडकुल में प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित डीपीआर तैयार की जाती है। जिसका संरक्षण सम्बन्धित परियोजना के परियोजना प्रबन्धक के अधीन तकनिकी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3. रियायती समझौते।

ब्रिडकुल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सुगम संचालन हेतु अधत्न तकनिकी का आदान प्रदान विभिन्न विभागों के साथ समय–समय पर आवश्यकता अनुसार समझौते /करार के माध्यम से किए जाते है।

4. संचालन और रखरखाव मैनुअल

ब्रिडकुल द्वारा स्वंय के भवन / कार्यालयों / परियोजनाओं के संचालन एंव रखरखाव की व्यवस्था उपलब्ध वर्क मैनुअल के आधार पर नियमानुसार संचालित की जाती है। ब्रिडकुल एक कार्यदायी संस्था होने के कारण ब्रिडकुल द्वारा परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराकर सम्बन्धित ग्राहक विभाग को हस्तगत कर दिया जाता है जिसका रखरखाव सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार स्वंय द्वार कराया जाता है।

(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज

वर्तमान में ब्रिडकुल द्वारा पीपीपी के माध्यम से कोई भी परियोजना गतिमान नही है।

(ब) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है

फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा रही है उक्त से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित विभाग के अधिक्षण एंव संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षित रखी जाती है उक्त से सम्बन्धित सूचना चाहने पर सूचनाएं नियमानुसार आवेदक को ब्रिडकुल एंव सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

(स) आउटपुट और परिमाणों से सम्बन्धित जानकारी

ब्रिडकुल द्वारा किए जा रहे कार्य एंव क्रियान्वन के आउटपुट और परिमाणों से सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अनुभाग के अधिक्षण एंव संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षित रखी जाती है उक्त से सम्बन्धित सूचना चाहने पर सूचनाएं नियमानुसार आवेदक को प्रदान की जाती है।

(द) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया

ब्रिडकुल द्वारा निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया नियमानुसार ई–निविदा / निविदा के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली के अनुसार ही निर्धारित की जाती है।

(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान

वर्तमान में ब्रिडकुल द्वारा पीपीपी परियोजना के आधार पर कोई कार्य/परियोजना गतिमान नही हैं।